# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या–1986/2011/भीलवाड़ा**

मै0 चांदमल चपलोत भीलवाडा। ...अपीलार्थी

बनाम

1. उपयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा ...प्रत्यर्थीगण

**एकलपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**

लिखित बहस प्राप्त
द्वारा श्री एम.पी.शर्मा कर सलाहकार ...अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थीगण की ओर से

**निर्णय दिनांक : 24.04.2017**

## निर्णय

**1.** उपर्युक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.06.2010 को निरस्त करते हुए दिशा निर्देशो के साथ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

**2.** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर ई. सी. पर आधारित प्राप्तियां 18,56,645/– रू., लेबर वर्क 3,01,939/–रू. व बिना ई.सी. पर आधारित प्राप्तियां 10,39,891/– रू. था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2010 द्वारा कर निर्धारण किया जिसके विरूद्ध व्यवहारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील में विवादित टर्न ओवर पर निर्धारित शास्ति राशि रू. 15985/– को विवादित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया है :–

(1). कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाई की घोषित खरीद को अमान्य कर बिक्री बढ़ाकर करारोपण किया है, जिसका कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया। इस बिन्दु पर प्रकरण इस निर्देश के साथ कर निर्धारण को प्रतिप्रेषित

लगातार................2

किया जाता है कि व्यवसाई द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किया जावे।

(2). कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बजरी पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण किया है इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि व्यवहारी द्वारा जो आलौच्य अवधि में बजरी की खरीद की गई है उस पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत से ही करारोपण किया जावें।

(3). व्यवहारी द्वारा कथन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी को ई.सी. कार्यो में लेबर 25 प्रतिशत कम करके ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिये थी जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। व्यवहारी को ई.सी. हेतु आप्शन दिया हुआ है। यदि वह ई.सी. लेना चाहता है तो कुल प्राप्तियों पर उसको ई.सी. फीस देनी होगी, लेबर की कटौतियां किया जाना प्रावधानों के अनुसार नहीं है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया हैं, जो इस प्रकरण में भिन्न तथ्यों के कारण लागू नही होता है।

(4). अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि रिटर्न समय पर पेश नही करने का कारण अवार्डर द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा रिटर्न विलंब से प्रस्तुत करने पर धारा 58 के तहत रू. 2000/– की शास्ति आरोपित की है तथा शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं प्रदान किया गया अतः इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे और इस बिंदु पर कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर जांच करे तथा जांच उपरांत निर्णय के लिये स्वतंत्र हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

**3.** उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

**4.** प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर

निर्धारण की समय सीमा 31.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। बजरी की खरीद पर 12.5 के स्थान पर 4 प्रतिशत कर आरोपित करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जबकि बजरी पर वजन के अनुसार कुल ट्रिप पर कर देय है जिसे अपीलार्थी ने अदा कर दिया है परन्तु फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित कर दिया है जो विधिसम्मत नहीं है। ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिल्डिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में इन्होने अपने समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एसटीसी 265 प्रस्तुत किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

**5.** बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

**6.** उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

**7.** अपीलार्थी का अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बजरी की खरीद पर 12.5 के स्थान पर 4 प्रतिशत कर आरोपित करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है जबकि बजरी पर वजन के अनुसार कुल परिवहन किये गये ट्रको पर कर देय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रेषित किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.08.11 के अनुसार इस आदेश में संशोधित किया गया है तथा ''बजरी'' के स्थान पर ''रीवर सैण्ड'' किया गया है। Shcedule IV के अन्तर्गत क्रम संख्या 115 निम्न प्रकार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1·115. | River sand excluding bajri<br><br>1. Deleted by Notification No. F.12(52) FD/Tax/ 09-pt. dated 31-12-2010 w.e.f. 01-01-2011 | 5 | |

अधिसूचना संख्या 2136 एफ.12 (63) एफडी/टैक्स/2005–86 दिनांक 11.09.06 की क्रम संख्या 1 पर ''बजरी'' का उल्लेख है जिस पर प्रति ट्रक ई.सी. फीस देय होने का उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ''बजरी'' पर प्रति ट्रक व ''रीवर सैण्ड'' 5 प्रतिशत की दर से कर देय है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में आंशिक

लगातार................4

संशोधन किया जाना उचित है कि कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी की विवरणिकाओं के अनुसार क्रय विक्रय की गई वस्तु की श्रेणी व उस पर तत्समय देय कर की गणना व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें।

8. अपीलार्थी का अपील में द्वितीय मुख्य आधार यह है कि ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिल्डिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरकर्ता के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी **अधिसूचना संख्या F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006** में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क जो विहित किया गया है, वह **कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract)** पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) **के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996** से पूर्व में विद्मान थे, का निर्वचन था, जिसमें **सकल पण्यावर्त**, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पति के रूप में अन्तरित हुयी हो, का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित **अधिसूचना दिनांक 11.08. 2006** में विशेष रूप से **कुल कार्य संविदा** मूल्य (Total value of work contract) पर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है।

इस संबंध में अधिसूचना का मूल पठन इस प्रकार है:–

**S.No 2130 : F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006**

In exercise of the powers conferred by section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

1. That in case of works contracts,

(i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and

(ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.

2. That application shall be submitted [within 60 days] from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later,

2m

3. That in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a later fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of award of the contracts]

4. That on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in form WT-3 apended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01.04.2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.

5.That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

(vii) Where an awarder is a Department of any Government a Corporation, a public undertaking a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no. 3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to made in any manner to such contractor and all the provisioins of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for works contractors shall mutatis mutandis apply. It case the contractor has laredy received some payments for execution of works contact from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filing of application, under this notification;

(viii) Where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be requied to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contact from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payments, along with interest up to the date of filling of application, under this notification;

(ix) The amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to thed dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

२m

लगातार................6

**(6) that the contractor shal not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted ;**

(7) that the certificate of exemption shal be liable to be cancelled b;y the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notification; and

(8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

**LIST**

| S.No. | Description of Works Contract | **Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract** |
|---|---|---|
| 1. | Works Contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system. | 1.50% |
| 2. | Works Contract relating to Installation of plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material. | 2.25% |
| 3. | Any other kind of works contract not covered by S.No. 2 & 3. | 3.00% |

उपरोक्त विधिक स्थित से स्पष्ट है कि ई.सी. फीस का संदाय संविदा में दर्शाई गई कुल राशि पर होगा तथा संविदा कार्य जिस पर ई.सी. फीस दी गई है, में प्रयुक्त माल के क्रय पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं होगा। इस प्रकार अपील का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है।

**9.** अपील में तृतीय मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2010 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 02.06.10 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

**10.** इस प्रकार प्रकरण में ई.सी. पर किये गये कार्य पर देय कर की गणना कार्य आदेश में दर्शायी गयी राशि के आधार पर ही किया जाने का प्रावधान है तथा इसमें से मजदूरी राशि कम नहीं की जा सकती। संविदा कार्य जिस पर ई.सी. फीस दी गई है,

में प्रयुक्त माल के क्रय पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं होगा। साथ ही बजरी या "रीवर सैण्ड" पर कर की गणना हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

**11.** जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यो में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एव् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया हैं उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत् जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12(63)एफडी/टैक्स/2005:86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :–

S.No. 2136 F.12(63)FD/Tax/2005-85 Dated: 11-09-2006

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, dealer or person, from tax payable, under sub-section (1) of section 6, on sale or purchase of goods, mentioned in Column No. 2 of the list appended hereunder, carried or caused to be carried through vehicle or carrier, on the condition that such dealer or person, pays exemption fee as specified in respect of such goods as mentioned against each in Column No. 3 thereof, namely:-

**Exemption Fee per Truck**

**List**

| **S.No.** | **Description of goods** | **Exemption fee per. Truck** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bajri including reta :<br>(a) Chambal, banas, Mahi, Khari, Kharka<br>(b) Other local, sources in exclusion of (a),-<br>(i) Districts - Ajmer, Kota, Bundi, Jhalawar, Baran and Alwar.<br>(ii) Sirohi, Jalore, Pali, Barmer, Jodhpur and Other districts. | Rs. 240/-<br><br><br>Rs. 120/-<br><br>Rs. 60/- |
| | ------------------------------------------------------ | |

२४

लगातार................8

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिसूचना सं. 2134 एफ12(63)एफडी / टैक्स / 2005–84 दिनांक 11.09.06 अधिनियम की धारा 6(1) अन्तर्गत जारी की गई है तथा इसमें बजरी पर टैक्स की दर प्रतिटन के हिसाब से निर्धारित की गई है जिसका संबंधित भाग निम्न प्रकार है :–

S.No. 2134 F.12(63)FD/Tax/2005-84 Dated: 11-09-2006

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government hereby provides that notwithstanding anything contained in any notification issued earlier under section 4 of the said Act, with immediate effect, the rate of tax payable, in respect of the goods specified in Column No. 2 of the lists - A and b appended hereto, shall be a s shown against each in Column No. 3 thereof; namely:-

**Tax Payable on Weight Basis**

| S.No. | Description of goods | Tax payable No. per ton |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bajri including reta :<br>(a) Chambal, banas, Mahi, Khari, Kharka<br>(b) Other local, sources in exclusion of (a),-<br>(i) Districts - Ajmer, Kota, Bundi, Jhalawar, Baran and Alwar.<br>(ii) Sirohi, Jalore, Pali, Barmer, Jodhpur and Other districts. | Rs. 18/-<br><br><br>Rs. 12/-<br><br>Rs. 6/- |
| | ---------------------------------------------------- | |

उपरोक्त दोनो अधिसूचनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बजरी पर दो प्रकार से कर देय है, अधिसूचना सं. 2005–86 द्वारा Exemption Fee के आधार पर तथा अधिसूचना संख्या 2005–84 द्वारा Weight Basis पर है। प्रथम अधिसूचना सं. 2005–86 दिनांक 11.09.2006 में प्रति ट्रक की दर से कर मुक्ति शुल्क (Exemption Fee) निर्धारित किया हुआ है तथा यदि अधिसूचना संख्या 2005–86 दिनांक 11.09.06 के अन्तर्गत कर मुक्ति शुल्क अदा कर माल क्रय किया गया है तो अधिनियम की धारा 17 जिसके अनुसार टैक्स की देय कर का सूत्र निम्न प्रकार है – $T = (O + R + P) - I$

Where T is net tax payable, O is amount of output tax, R is amount of reverse tax, P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4 ; and I is the amount of input tax. के अनुसार समायोजन योग्य कोई राशि का प्रावधान नहीं है अर्थात् इनपुट टैक्स के अलावा अन्य कोई राशि देय कर में से कम नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तद्संबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। **उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरूद्ध समायोजन योग्य नहीं है** एवम् अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है।

2m

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2011 के बिन्दु सं. 2 जिसमें बजरी पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने के आदेश दिये है, के स्थान पर "कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी द्वारा क्रय विक्रय की गई वस्तु की श्रेणी व उस पर तत्समय देय कर की गणना नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए करें " किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.05.2017 को उपस्थित हो।

13. निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य